न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 22/2022

अनवान :

नीकूराम उर्फ निकु पुत्र रामजीलाल उर्फ रामजी जाति जाट निवासी मलसीसर तह0 भादरा।

:—वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. जयदीप कुमार पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. दलवीर पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. शकुन्तला पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. सावित्रीदेवी पत्नि हंसराज जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. इन्द्रादेवी पुत्री लादूराम पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा हाल फरमाई तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
7. सुमित्रा पुत्री लादूराम पत्नी करणसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा हाल ढाबी तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
8. शकुन्तला पुत्री लादूराम पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा हाल शेरपुरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
9. शांती देवी पत्नी लादूराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री अमित देहडू **: वादी**

वकील श्री प्रदीप सहारण **: प्रतिवादी सं0 1, 4, 5**

वकील श्री विनोद पूनियां **: प्रतिवादी सं0 2, 3, 9**

वकील श्री मनीष टाक **: प्रतिवादी सं0 7**

निर्णय **दिनांकः**

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 81/248 के खसरा सं0 334/2, 645/1, 676/2 कुल खसरा 3 की 8.7640है0 बारानी तथा रोही मलसीसर के ही खाता सं0 125/117 के खसरा सं0 334, 645/2, 676/1 कुल खसरा 3 की 8.7640 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था जिस पर वादभूमि के अलग अलग खेत बने हुए है तथा पक्षकारान ने अपने अपने हिस्सा की भूमि को उपजाउ व समतल आदि भी करवाया है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में मुश्तर्का खातेदारी होने के चलते माल लगान आदि को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व [illegible] के अनुसार खाता तकशीम करवाने एवं अपने विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए [illegible] आदि का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 19:21:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 7 व 9 जरिये वकील

Scanned with CamScanner

हाजिर आए। प्रतिवादी सं0 6 व 8 तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आए जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक बाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 81/248 के खसरा सं0 334/2, 645/1, 676/2 कुल खसरा 3 की 8.7640है0 बारानी तथा रोही मलसीसर के ही खाता सं0 125/117 के खसरा सं0 334, 645/2, 676/1 कुल खसरा 3 की 8.7640 बारानी कृषि भूमि में वादी अपने के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./18/115 दिनांक 26.02.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश नहीं की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा मलसीसर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता हैः–

विभाजन : रोही मौजा मलसीसर

सुमित्रा देवी पुत्री लादूराम हि0 1.012है0, जयदीप कुमार पुत्र लादूराम हि0 3.4647है0, दलवीर पुत्र लादूराम हि0 3.4648है0 जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा मलसीसर के ख0न0 334/2 की 1.5425है0, ख0न0 645/1 की 1.656है0, ख0न0 676/2 की 4.7430है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.9415है0

निकूराम उर्फ नीकू पुत्र रामजीलाल उर्फ रामजी जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा मलसीसर के ख0न0 334/2 की 0.6325है0, ख0न0 334 की 2.027है0, ख0न0 645/2 की 1. 656है0, ख0न0 676/1 की 4.7430है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.0585है0

जयसिंह पुत्र रामजीलाल उर्फ रामजी जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा मलसीसर के ख0न0 645/1 की 0.19है0, ख0न0 645/2 की 0.19है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.38है0

सावित्रि देवी पत्नि हंसराज जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा मलसीसर के ख0न0 334 की 0.089है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.089है0

शकुन्तला पत्नि भूपसिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा मलसीसर के ख0न0 334 की 0.059है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.059है0

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 19:21:09 IST
Reason: SelfAttested

24/5/24

(ओम प्रकाश चन्देलिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner